न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/25/17	11–09–2017	17–05–2018

(4)

1–जगदीश पुत्र श्री छिनकूराम जाति ओड राजपूत निवासी ग्राम टीकरी हाल निवासी 6 क 14, शिवाजी पार्क, अलवर तहसील अलवर।
2–हीराबाई पुत्री छिनकूराम पत्नी श्री शिवदयाल, निवासी ग्राम नसवारीबास, तहसील गोविन्दगढ।
3–कृष्णा बाई पुत्री श्री छिनकूराम पत्नी श्री जीवन्दाराम ओड राजपूत, निवासी ग्राम नसवारी, तहसील गोविन्दगढ।
4–कल्लो बाई पुत्री श्री छिनकूराम पत्नी श्री कालीराम ओड राजपूत, निवासी ग्राम मूनपुरीकलां, तहसील गोविन्दगढ।
5–महावीर पुत्र श्री नन्दलाल पौत्र छिनकूराम ओड राजपूत।
6–राजकुमार पुत्र श्री नन्दलाल पौत्र छिनकूराम ओड राजपूत।
7–कैलाशो बाई पत्नी श्री दिलीप पुत्रवधू छिनकूराम।
8–सतीश पुत्र श्री दिलीप पौत्र छिनकूराम ओड राजपूत।
9–रिंकू पुत्र दिलीप पौत्र छिनकूराम ओड राजपूत, निवासीयान ग्राम टीकरी, तहसील गोविन्दगढ बहैसियत वारिस काबिज जायदाद मिन जानिब छिनकूराम पुत्र श्री चेलाराम व सेवा बाई पत्नी श्री छिनकूराम निवासीयान ग्राम टीकरी तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर

–: अपीलान्टस

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार साहब गोविन्दगढ जिला अलवर

–:रेस्पाडेन्टान्

अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार गोविन्दगढ का निर्णय दिनांक 24–12–86 नामान्तकरण संख्या 255 व 256, 257, 258 दिनांक 26–12–86 ग्राम टीकरी तहसील गोविन्दगढ।

उपस्थितः–

01. श्री मुकेश कुमार शर्मा –वकील अपीलान्टस

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार गोविन्दगढ के आदेश दिनांक 24–12–86 नामान्तकरण संख्या 255 व 256, 257, 258 दिनांक 26–12–86 ग्राम टीकरी तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर बेजा तौर पर खारिज किये जाने से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपील अपीलाण्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 244 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा जिसका गत

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.)

न्यायालय के आदेश दिनांक 24.12.1986 व 26.12.1986 को निरस्त फरमाया जाकर इंतकाल संख्या 255, 256, 257 व 258 स्वीकार किये जाकर विवादित आराजी के 1/3 हिस्से का इंतकाल खातेदारी पंजीकृत विक्रय पत्र व विरासत के आधार पर अपीलांट्स के नाम इंतकाल खोला जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 24–12–86 व 26.12.1986 के विरूद्ध दिनांक 11–09–2017 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 31 वर्ष विलम्ब से पेश की गई है। विलम्ब की अविध असाधारण नही है। फिर भी प्रार्थना पत्र दफा–5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुये विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है। अपीलान्ट के माता पिता द्वारा विवादित आराजी जरिये रजिर्स्टड बयनामा खरीद की है मूल पट्टा धारी दीवानचन्द को सनद पट्टा संख्या 14/78 दिनांक 06.07.1978 के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण स्वीकार करना चाहिए था जो पट्टा पेश नही करने के अभाव में अस्वीकार कर दिया गया उक्त नामान्तरकरण संख्या 255 के अस्वीकार होने से आगे के सभी नामान्तरकरण अस्वीकार कर दिये गये जबकी मुताबिक पत्रावली दीवानचन्द के वारिस किशनचन्द द्वारा सभी खरीदारों को उक्त आराजी जरिये रजिर्स्टड बयनामा बेचान किया था। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर रिमाण्ड किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन तहसीलदार गोविन्दगढ के आदेश दिनॉक 24–12–1986 व 26–12–1986 नामान्तकरण संख्या–255, 256, 257, 258 ग्राम फाहरी तहसील गोविन्दगढ निरस्त किया जाता है एवं अपील अपीलान्ट तहसीलदार गोविन्दगढ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि यदि दीवानचन्द पुत्र परजाराम निवासी टीकरी को जारी सनद पट्टा सख्या 14/78 दिनांक 06.07.1978 एवं अपीलान्ट के माता–पिता को किये गये रजिर्स्टड बयनामा आज भी अस्तित्व मे है तो उक्त संबंध मे जांच करे एवं पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देकर कब्जे संबंधीत जॉच कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार गोविन्दगढ को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.) ALWAR (RAJ.)

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)